झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

–:संकल्पः–

संoसंoः–30 / विविध–04 / 2026.....2414/R..... दिनांक 31/07/2026.....

विषयः वित्त विभागीय IFMS पोर्टल के साथ Silent Bank Account Verification (Bank Account Verification-V1) तथा Online PAN Verification (OPV) सेवाओं के integration हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम–235 को शिथिल करते हुए Protean eGov Technologies Limited के मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति एवं अनुबंध प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य Payee के Demographic एवं Bank Account से संबंधित सूचनाओं के Validation के अभाव में विभिन्न कोषागार से अवैध निकासी के कई मामले वर्तमान में प्रकाश में आये हैं। हजारीबाग, बोकारो, पलामू आदि जिलों से इस प्रकार की अवैध निकासी की सूचना प्राप्त हुई है जिस पर अग्रतर अनुसंधान एवं जाँच प्रक्रियाधीन है।

2. Silent Bank Account Verification एक उन्नत खाता सत्यापन सेवा है जिसके माध्यम से सरकार एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंक खाता विवरण का सटीक एवं सुरक्षित सत्यापन किया जा सकता है। Protean eGov Technologies Limited की Online PAN verification सेवा आयकर विभाग द्वारा प्राधिकृत है जिसके माध्यम से कार्यालयीय अभिलेख में संधारित PAN का Real Time सत्यापन हो सकेगा। Account Number एवं PAN के Validation के फलस्वरूप IFMS से ही Account No. Mismatch की स्थिति में Pay ID में भुगतान रोक दिया जायेगा जिससे अवैध भुगतान के प्रयास को रोका जा सकेगा।

3. संदर्भित सेवाओं के संबंध में विभाग को Protean eGov Technologies Limited (पूर्व में NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.) से प्रस्ताव प्राप्त है। Protean eGov Technologies Ltd. एक जानी–मानी भारतीय IT आधारित सेवा कंपनी है जो Digital Public Infrastructure (DPI) और नागरिक केन्द्रित e-governance solutions बनाने में विशेषज्ञता रखती है। इसके द्वारा PAN Card जारी करने, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और Aadhaar Based सत्यापन जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक विकसित की गयी है।

4. Protean eGov Technologies Limited द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार संदर्भित सेवाओं के लिए वर्तमान में Generated Pay ID एवं सम्प्रति कार्यरत राज्यकर्मियों के PAN Linked बैंक खाता सत्यापन सुविधा के एवज में अनुमानित प्रारंभिक वित्तीय भार निम्नवत है–

सेवा का नाम (1)	Account/ PAN की संख्या (2)	लागत दर (3)	लागत (4)	Annual Registration Charges (Including GST) (4)	Total (5)	अभ्युक्ति (6)
Silent Bank Account Verification (Bank Account Verification -V1)	2080046	**Rs. 0.50** per transaction	रू० 10,40,023	–	रू०10,40,023	
Online PAN Verification (OPV)	2080046	**Rs. 0.15** Per PAN Verification	रू० 3,12,007	रू० 14,160	रू० 3,26,167	15 लाख से 30 लाख प्रतिवर्ष की स्लैब के लिए प्रतिदिन अधिकतम 1500 मुफ्त PAN Verification की सुविधा
				One Time Integration Cost	55,000/–	
				योग–	**रू० 14,21,190/–** **(रू० चौदह लाख इक्कीस हजार एक सौ नब्बे मात्र)**	

5. तत्पश्चात नये Pay ID generate होने एवं नये नियुक्त होने वाले कर्मियों के PAN एवं बैंक खाता का सत्यापन उक्त कंडिका–04 में अंकित तालिका के स्तंभ–03 (लागत दर) में निर्धारित दर पर किया जायेगा, जिसके लिए प्रति Transaction अलग से राशि भुगतेय होगी। संदर्भित सेवा हेतु राशि माँग सं०–12, मुख्यशीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण, उपशीर्ष–85– IFMS-Version 2.0, विस्तृत शीर्ष –07–अन्य व्यय, इकाई–81–सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (विपत्र कोड– 12S4070000385000781) से विकलनीय होगी।

6. विषय की गंभीरता एवं तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा Silent Bank Account Verification (Bank Account Verification-V-1) तथा Online PAN Verification (OPV) सेवाओं के IFMS Portal के साथ integration हेतु सैद्धांतिक सहमति Protean eGov Technologies Limited को संसूचित करते हुए एतदर्थ अग्रतर कार्रवाई का अनुरोध उनसे किया गया है।

7. वित्त विभाग द्वारा Protean eGov Technologies Limited के साथ उक्त कार्य हेतु अनुबंध किया जाना है जिसका प्रारूप अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

(35) 8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभागीय IFMS पोर्टल के साथ Silent Bank Account Verification (Bank Account Verification-V1) तथा Online PAN Verification (OPV) सेवाओं के integration हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम–245 के आलोक में नियम–235 को शिथिल करते हुए Protean eGov Technologies Limited के मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति एवं एतद् संबंधी अनुबंध प्रारूप पर दिनांक 21.07.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–45 के रूप में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची एवं सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

अनुलग्नक–अनुबंध प्रारूप

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–30/विविध–04/2026 2414/वि० दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–30/विविध–04/2026 2414/वि० दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–30/विविध–04/2026 2414/वि० दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि– जन सूचना पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, प्रभारी, प्रशाखा–30, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :–30/विविध–04/2026 2414/वि० दिनांक 31/07/2026

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव